बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–47 दिनांक 28/7/06

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना ।
सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः– **श्री मोहन कुमार सरकार,, वि0प्र0से0, तत्कालीन परिवहन दंडाधिकारी सम्प्रति उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 (1) (बी) के तहत् (निराधार आरोपों के अन्तर्गत) सी0बी0आई0 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति मांगने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 (1) (बी) के तहत यह प्रावधान है कि सरकारी कर्त्तव्य के दौरान किसी भी सेवक के विरूद्ध तब तक संज्ञान नहीं लिया जा सकता है जब तक उस कर्मी के विरूद्ध अभियोजन चलाने की पूर्व स्वीकृति सरकार ने न दे दी हो । यह सुविधा सरकारी सेवकों को इसलिए प्राप्त है क्योंकि उन्हें अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान अनेको ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिसका विपरीत प्रभाव कतिपय व्यक्तियों पर पड़ सकता है अथवा उसके चलते कतिपय व्यक्तियों द्वारा सरकारी सेवकों को परेशान किया जा सकता है । संविधान में उपर्युक्त प्रावधान सरकारी सेवक को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने के लिए किया गया है ताकि वे निर्भय होकर सरकारी कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें और बोनाफाइड गलतियों के लिए उन्हें अनावश्क रूप से परेशान न होना पड़े ।

2. इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति देने के पूर्व सभी बिन्दुओं / साक्ष्यों/ सरकारी सेवक के इतिहास पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त प्रशासी विभाग द्वारा समुचित निर्णय लिया जाय ।

3. इस संदर्भ में संध को यह भी कहना है कि भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 की धारा–19 (1) (बी), दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 (1) (बी) में सरकारी कर्मी को निराधार एवं अपुष्ट आरोपों से संरक्षण देने हेतु प्रावधान किया गया है अर्थात् ये धारायें संरक्षणात्मक (Protective) है । परन्तु खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के कतिपय पदाधिकारियों को मामूली गलतियों के लिए विगत 10 वर्षो से निलम्बित रखा गया है और उनके विरूद्ध बिना विचार किये सरकार द्वारा मेकैनिकल (Machanical) रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 (1) (बी) के तहत अभियोजन की स्वीकृति दे दी गयी है । हमारा यह भी अनुरोध होगा कि ऐसे सभी मामलों पर सम्यक रूप से विचार किया जाय और जो पदाधिकारी वर्षो से निलंबित हैं उनका निलम्बन आदेश उठाने की दिशा में कार्रवाई की जाय ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– दिनांक.....

4. उपर्युक्त संदर्भ में संघ सरकार का ध्यान इन तथ्यों की ओर आकृष्ट करना चाहती है कि श्री सरकार जब परिवहन दंडाधिकारी के रूप में भागलपुर जिला में वर्ष 1993 में पदस्थापित थे, उस समय जिला पदाधिकारी के स्थानीय आदेश से स्टॉप गैप अरैन्जमेंट (Stop Gaparrangement) के तहत् कुछ दिनों के लिए कोषागार पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे । इसी अवधि में इन्होने कुछ विपत्रों को पारित किया था । इन्ही विपत्रों को पारित किये जाने के कारण किसी अपराधी के द0 प्र0 सं के धारा 164 में तथ्यों के विपरीत बयान के चलते श्री सरकार को सी0बी0आई0 द्वारा दोषी करार देने की कार्रवाई चल रही है ।

5. श्री सरकार पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाये जाने के पूर्व यह देखना होगा कि कोषागार पदाधिकारी के रूप में उनकी जिम्मेवारी क्या बनती थी और उन्होने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया अथवा नहीं । श्री सरकार के संलग्न अभ्यावेदन से यह स्पष्ट है कि कोषागार पदाधिकारी के रूप में उन्होने अपनी जबाबदेही का सम्यक् रूप से निर्वहन किया था और इन प्रासंगिक विपत्रों को पारित करने में इन्होने कोई अनियमितता नहीं बरती । बि0को0सं0 के नियम 180(1) में विपत्र पारित करने के पूर्व किन बिन्दुओं पर विचार किया जाना है, इसका वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है । इनके द्वारा पारित किये गये विपत्रों की राशि काफी छोटी थी और इस राशि के समतुल्य वेतन और कन्टिजेन्सी अथवा अन्य विपत्रों का भुगतान किसी भी स्थिति में संदेहास्पद नहीं हो सकता है । आपूर्तिकर्त्ता श्री चांडुक धारा 164 (दं0प्र0सं0) में दिये गये बयान में कोषागार पदाधिकारी को घुस देने की बात नहीं कही गयी है और अगर अपराधी द्वारा बयान देकर किसी सत्यनिष्ठ और अन्य विश्वसनीय पदाधिकारी को आपराधिक मामलों में फंसाया जाता है तो उसे अन्य प्रमाणिक साक्ष्यों से प्रमाणित किया जाना चाहिए । परन्तु सी0बी0आई0 ने किसी अपराधी के बयान पर बिना प्रमाणिक साक्ष्य के श्री सरकार के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति की मांग की है, जो नियम के विरूद्ध है । ऐसे आरोप साक्ष्यों से कारबोरेटेड (Caroborated) होना चाहिए जो कि पुलिस डायरी अथवा प्राथमिकी में नहीं है । श्री सरकार प्राथमिकी अभियुक्त भी नहीं है । मात्र किसी अपराधी के बयान पर इन्हें फंसाने की साजीश की जा रही है जिसका संघ विरोध करता है और यह माँग करता है कि इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति देने के पूर्व प्राथमिकी/ सी0बी0आई0 डायरी/ पर्यवेक्षण रिपोर्ट के साथ साथ अन्य सर्वमान्य साक्ष्यों पर विचार किया जाय और विचार करने के उपरान्त ही सरकार मत गठित करें अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–197 (1) (बी) का प्रावधान संरक्षणात्मक (Protective) न होकर दंडात्मक (Punitive) हो जायगा और इन प्रावधानों का कोई औचित्य नहीं रह जायगा ।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष

अनुलग्नकः– श्री मोहन कुमार सरकार, वि0प्र0से0,
उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना का अभ्यावेदन ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष

भगलू रजक

सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव

केशव कुमार सिंह

केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक.....

प्रतिलिपिः– श्री मोहन कुमार सरकार, वि0प्र0से0, उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

28/7/16.

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव